तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (RCMS No. 2015/00106) 395/15 ओम प्रिय बनाम किशोर व. अन्य / निर्मला कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुए
19/2/19	अपील पेश [illegible] तथा [illegible] पारित कर [illegible] आदेशानुसार [illegible] कार्य [illegible] पत्रावली दिनांक 8/3/19 को पेश हो। [illegible] संभागीय आयुक्त जयपुर	
12/3/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरदाता उपस्थित, अधिवक्ता अपीलार्थी ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा विचाराधीन बताते हुए अपील विड्रॉ करने अथवा व बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 26/3/19 को पेश हो। [illegible] संभागीय आयुक्त जयपुर	
26/3/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित। प्रकरण में बार-बार आवाज दिलवाई गई, इसके उपरान्त भी अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी को पूर्व में भी अंतिम अवसर दिया गया है उसके उपरान्त भी आज अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है। अत: अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। [illegible] संभागीय आयुक्त जयपुर	[illegible] 26/3/19

2015/00106

न्यायालय माननीय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

राजस्व अपील संख्या–315/2015 संशोधित अनुसार

ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये प्रतिनिधि मक्खन लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी प्लाट नम्बर 5, न्यू कॉलोनी, पंखा झोटवाडा जयपुर।

------अपीलाण्ट

बनाम

1. गिरिश कुमार ओझा पुत्र श्री राधेश्याम ओझा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर डी–282, मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

----- रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय–आदेश दिनांक 31–08–2009 बअदालत तहसीलदार आमेर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2009 बउनवानी गिरिश कुमार ओझा बनाम सरकार जिसमें गिरिश ओझा के नाम वसीयत के आधार मृतक नन्दकिशोर व गंगादेवी का 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया, जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 873 दिनांक 14/09/2009 तस्दीक फरमाया गया।</u>

श्रीमान्‌जी,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजूदा अपील के अपीलान्ट ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति का

Scanned by CamScanner